


दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ

पत्रांक 761/सं0-सात-24/वाहन नीलामी/2015-16

दिनांक 21 जून, 2024


नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ परिसर में संस्थान के निष्प्रयोज्य वाहन संख्या-यू0पी0-32 एक्स-1385 जीप "जैसे है, जहां है" के आधार पर नीलामी संस्थान पर दिनांक 21 जून, 2024 को मध्याह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी से पूर्व रू0 3,500/- (रू0 तीन हजार पांच सौ मात्र) का डिमाण्ड-ड्राफ्ट/नगद जमानत राशि के रूप में जो "महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ" के नाम देय होगा तथा नीलामी तिथि को पूर्वाह्न 11:30 बजे तक प्रत्येक स्थिति में जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी की शर्तें संस्थान की वेबसाइट www.sirdup.in पर उपलब्ध हैं।


महानिदेशक
(डी0 चौधरी)
प्र0 अपर निदेशक
दी.द.उ. रा.ग्रा.वि.सं.
बख्शी का तालाब, लखनऊ

नीलामी की शर्तें

1. इच्छुक व्यक्ति/अन्य संस्था/शासकीय एजेन्सी नीलामी से पूर्व ₹0 3,500/- (₹0 तीन हजार पांच सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद जमानत धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में जो कि महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बखशी का तालाब, लखनऊ के नाम देय होगा, को जमा कराकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जिसे नीलामी तिथि के दिन पूर्वान् 11:30 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात कोई ड्राफ्ट/नगद जमा नहीं किया जायेगा। जमा किये गये ड्राफ्ट/नगद नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही बोलीदाताओं को वापस किया जायेगा।
2. नीलामी बोली के उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि को 03 दिन के अन्दर जमा करके नीलामी किये वाहनों को ले जाने की अनुमति होगी।
3. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् जमानत धनराशि को नीलामी स्वीकृत धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी।
4. नीलामी किये जाने वाले वाहन को नीलामी में भाग लेने के इच्छुक सभी व्यक्ति/अन्य संस्था/शासकीय एजेन्सी द्वारा कार्यालय अवधि में प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक संस्थान परिसर में देखा जा सकता है।
5. वाहन की नीलामी "जैसा है, जहां है, के आधार पर की जायेगी।
6. अधिकतम बोलीदाता वाले ऊपर से 03 लोगों को छोड़कर शेष की जमानत राशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
7. बोली स्वीकृत होने के तुरन्त बाद 75 प्रतिशत धनराशि उसी दिन जमा करनी होगी।
8. स्वीकृत बोलीदाता को नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करा कर एक सप्ताह के अन्दर वाहन को परिसर से हटाना होगा।
9. उपरोक्त नीलामी की कार्यवाही दिनांक 21 जून, 2024 मध्याह्न 12:00 बजे संस्थान परिसर में की जायेगी।
10. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा निष्प्रयोज्य नीलामी किये गये वाहन को हटाये जाने के समय यदि कोई शासकीय क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी स्वीकृत बोलीदाता की होगी तथा उसे वाहन को परिसर से ले जाने के पूर्व क्षतिपूर्ति/ठीक कराना होगा।
11. दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बखशी का तालाब, लखनऊ को बिना कारण बताये सबसे ऊंची बोली को रद्द करने का अधिकार निहित होगा। इस विषय में महानिदेशक महोदय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।


महानिदेशक
(बी० डी० चौधरी)
प्र० अपर निदेशक
दी.द.उ. रा.ग्रा.वि.सं.,
बखशी का तालाब, लखनऊ